

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से हो जाए जाए व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बलित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाए जिससे याचिना हो।



ग्राम : गूलीगढ़ी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5212

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, अशोकबगर को सत्र 2012-13 के लिये प्रलग्नावित/संचालित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबुसंसारों प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(1) के अन्तर्गत बिन्नाभुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. अंजना मिश्रा, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेस तथा पिछले सत्र में वी गई शर्तों की पूर्ति यम प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की विचुकितयों का प्रमाण एवं बेतव आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबुसंसारों अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर बिरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से जिवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में वी गई देही के लिए महाविद्यालय स्वरूप उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोगाल को भेज दी जावेगी। यह महाविद्यालय 03 माह में बिरीक्षण बर्ही करता है तो समिति उत्तरदायी और पुनः बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण रखना रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण समिति का पुरुगञ्ज किया जायेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन्होंने प्रवेश देना अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रबाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुविधित से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / सान्देश महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

+
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का बिरीक्षण करायें। उक्त बिरीक्षण 15 दिवस के अंदर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोगाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के बिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)